



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244815
CG-DL-E-31032023-244815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1412]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1412]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1465(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 के 313.850 कि.मी. से 332.160 कि.मी. तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ती प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आपत्ती सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, वरोरा, महाराष्ट्र को लिखित रूप में प्रस्तुत कि जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तीकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आपत्तियों की सुनवाई करने के

पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 के 313.850 कि.मी. से 332.160 कि.मी. वरोरा-वणी सेक्शन भू-खण्ड पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: चंद्रपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भद्रावती					
गांव का नाम: नंदोरी					
1	181/1/B	निजी(क्लास 1)	नॉन एग्रीकल्चर	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
2	181/1A	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
3	181/2	निजी(क्लास 2)	एग्रीकल्चर	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
4	220	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
5	221/1	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
6	223/1A, 223/2A	निजी(क्लास 2)	एग्रीकल्चर	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
7	224/1	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
8	224/2	सरकारी(गवर्नमेंट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
9	265	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
10	266/1, 266/2, 266/3	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.4500000(हेक्टेयर)	0.4500000
11	306/1, 306/2	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.4500000(हेक्टेयर)	0.4500000
12	313	निजी(क्लास 2)	एग्रीकल्चर	0.0850000(हेक्टेयर)	0.0850000
13	314/1, 314/2	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
कुल				2.0950	2.0950

[फा. सं. NH-12037/84/2018-MAH-1/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1465(E).— In exercise of powers conferred by subsection (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building

(widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 930, in the stretch of land from Km. 313.850 to Km. 332.160 of Warora – Wani Section of NH-930 in the districts of Chandrapur in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raised objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Warora, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under subsection (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 313.850 to Km. 332.160 of Warora-Wani Section of NH-930 in the District of Chandrapur in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA		District: CHANDRAPUR			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhadravati					
Village: Nandori					
1	181/1/B	Private(Class 1)	Non Agriculture	0.2000000(Hectare)	0.2000000
2	181/1A	Private(Class 1)	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000
3	181/2	Private(Class 2)	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
4	220	Private(Class 1)	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
5	221/1	Private(Class 1)	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
6	223/1A, 223/2A	Private(Class 2)	Agriculture	0.1200000(Hectare)	0.1200000
7	224/1	Private(Class 1)	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
8	224/2	Government	Non Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
9	265	Private(Class 1)	Agriculture	0.2200000(Hectare)	0.2200000
10	266/1, 266/2, 266/3	Private(Class 1)	Agriculture	0.4500000(Hectare)	0.4500000
11	306/1, 306/2	Private(Class 1)	Agriculture	0.4500000(Hectare)	0.4500000
12	313	Private(Class 2)	Agriculture	0.0850000(Hectare)	0.0850000
13	314/1, 314/2	Private(Class 1)	Agriculture	0.1700000(Hectare)	0.1700000
Total				2.0950	2.0950

[F. No. NH-12037/84/2018-MAH-1/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.